



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

सुशील बी. पखीड़े

SUSHIL B. PAKHIDE

सहायक कुलसचिव (वित्त)

ASSISTANT REGISTRAR (FINANCE)



मोबाइल : + 91-8830142458

ई-मेल : sushilpakhide1828@gmail.com

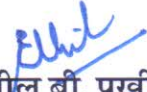
फा.क्र. 002/20-21/CEA/03(01)/253

दिनांक : 15.02.2022

परिपत्र

संतान शिक्षा भत्ता योजना के पात्र कर्मचारियों को अवगत किया जाता है कि अकादमिक वर्ष 2020-21 का संतान शिक्षा भत्ता (Children's Education Allowance) दावा निस्तारण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 निर्धारित है।

अतः कर्मचारियों से आग्रह है कि अकादमिक वर्ष 2020-21 का संतान शिक्षा भत्ता दावा दिनांक 15.03.2022 तक वित्त विभाग में प्रस्तुत करें, 15 मार्च 2022 के बाद प्राप्त होने वाले दावों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।


(सुशील बी. पखीड़े)

प्रतिलिपि :

1. कुलसचिव कार्यालय (कुलसचिव महोदय के संज्ञानार्थ एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु)
2. संबंधित पत्रावली।

